

॥कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 4772 / 124

दिनांक, गोपेश्वर, 6/06 /2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:- प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/12845/2015 कर्णप्रयाग-नैनीसैण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- ई0डी0एस0 दिनांक 02.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार द्वारा लगाई गई कतिपय कमियों का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गौचर के पत्र सं0 647/1सी0(वन) दिनांक 12.04.2018 से किया गया है तथा इस कार्यालय की पत्र सं0 4153/12-1 दिनांक 28.04.2018 से हार्ड कापी में संलग्नको सहित प्रेषित की गयी है। फॉरिस्ट क्लेरिफिकेशन साफ्टवेयर में ऑनलाईन फाईल अपलोड नहीं होने के कारण पुनः ऑनलाईन अपलोड करते हुए प्रेषित की जा रही है:-

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	Review the number of project affected trees and submit/upload revised enumeration list of trees along with clarification on the discrepancy in the number of trees given in different documents.	परियोजना के निर्माण से कुल 234 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें से 85 वृक्ष D-10 ब्यास वर्ग के हैं। वृक्षों की सूची पुनः निर्धारित कॉलम में अपलोड की जा चुकी है। संलग्नक:- 1- वृक्षों की सूची का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। (पेंज नं0-02)
2.	Submit revised cost benefit analysis after quantifying all the parameters in monetary terms in Annexure-VI(b) VI(C)	Cost Benefit analysis पूर्व में संशोधित कर इस कार्यालय के पत्रांक सं0 1519/01 सी वन दिनांक 09.10.2017 द्वारा पूर्व में प्रेषित एवं ऑनलाईन अपलोड किया जा चुका है। संलग्न:-2 Cost Benefit analysis
3.	Review density.Eco-class and NPV rate and mention correct information /data in the relevant documents which may also be uploaded at designated places.	एन0पी0वी0 का आंकलन कर अपलोड कर दिया गया है। संलग्न:-3 एन0पी0वी0 आंकलन सीट।
4.	State Govt. may change 1.00ha MDF area included in the land proposed for CA and submit revised maps etc.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न है। संलग्न:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रमाण-पत्र।
5.	State Govt. may submit the original copies of the important documents as well as the documents revised afterwards to be placed in hard copy of the proposal.	समस्त संशोधित प्रपत्र मूल कॉपी के साथ वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा पत्र सं0 2724/12-1 दिनांक 07.03.2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून को प्रेषित किया गया है। संलग्न:-4 पत्र एवं पत्र प्राप्ति रसीद की छाया प्रति।
6.	REC also desired that the concerned DFO may be asked to remain present in the next REC meeting.	अधोहरताक्षरी उपस्थित रहेंगे।

अतः उक्त प्रकरण में यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:-

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(एन0एन0पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 4153 / 121 , दिनांक, गोपेश्वर, अप्रैल 28 / 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:- प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/12845/2015 कर्णप्रयाग-नैनीसैण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- ई0डी0एस0 दिनांक 02.04.2018

महोदय,


उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार द्वारा लगाई गई कतिपय कमियों का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गौचर के पत्र सं0 647/1सी0(वन) दिनांक 12.04.2018 से निम्नानुसार किया गया है:-

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	Review the number of project affected trees and submit/upload revised enumeration list of trees along with clarification on the discrepancy in the number of trees given in different documents.	परियोजना के निर्माण से कुल 234 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें से 65 वृक्ष 0-10 व्यास वर्ग के हैं। वृक्षों की सूची पुनः निर्धारित कॉलम में अपलोड की जा चुकी है। संलग्नक:- 1- वृक्षों की सूची का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। (पेज नं0-02)
2.	Submit revised cost benefit analysis after quantifying all the parameters in moetary terms in Annexure-VI(b) VI(C)	Cost Benefit analysis पूर्व में संशोधित कर इस कार्यालय के पत्रांक सं0 1519/01 सी वन दिनांक 09.10.2017 द्वारा पूर्व में प्रेषित एवं ऑनलाईन अपलोड किया जा चुका है। संलग्न:-2 Cost Benefit analysis
3.	Review density,Eco-class and NPV rate and mention correct information /data in the relevant documents which may also be uploaded at designated places.	एन0पी0वी0 का आंकलन कर अपलोड कर दिया गया है। संलग्न:-3 एन0पी0वी0 आंकलन सीट।
4.	State Govt. may change 1.00ha MDF area included in the land proposed for CA and submit revised maps etc.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न है। संलग्न:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रमाण-पत्र।
5.	State Govt. may submit the original copies of the important documents as well as the documents revised afterwards to be placed in hard copy of the proposal.	समस्त संशोधित प्रपत्र मूल कॉपी के साथ वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा पत्र सं0 2724/12-1 दिनांक 07.03.2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून को प्रेषित किया गया है। संलग्न:-4 पत्र एवं पत्र प्राप्ति रसीद की छाया प्रति।
6.	REC also desired that the concerned DFO may be asked to remain present in the next REC meeting.	अधोहस्ताक्षरी उपस्थित रहेंगे।

अतः उक्त प्रकरण में यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

o/c

भददीय,

(एन0एन0एमण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:- eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक- 647/1 सी0 (वन)

दिनांक 12/4 /2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

Handwritten signature and notes in blue ink.

Handwritten initials 'MM' in blue ink.

विषय- प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/12845/2015 कर्णप्रयाग-नैनीसैण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग

के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका आनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 02.4.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में अवगत कराना है कि गौचर-सिदोली-चनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार कर दिया गया है।

S.No.	Objection	Reply
1	Review the number of project affected trees and submit/upload revised enumeration list of trees along with clarification on the discrepancy in the number of trees given in different documents.	परियोजना के निर्माण से कुल 234 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें से 85 वृक्ष 0-10 से0मी0 व्यास वर्ग के हैं। वृक्षों की सूची पुन निर्धारित कालम में अपलोड की जा चुकी है। संलग्न 1- वृक्षों की सूची का प्रमाण पत्र की छायाप्रति। 2 नं0 (पंज नं0 2-3)
2	Submit revised cost benefit analysis after quantifying all the parameters in monetary terms in Annexure-VI (b) VI (c)	cost benefit analysis पूर्व में संशोधित कर इस कार्यालय के पत्रांक सं0 1519/1सी0 वन दिनांक 9.10.2017 द्वारा आपको पूर्व में प्रेषित एवं आनलाइन अपलोड किया जा चुका है। संलग्न 2- cost benefit analysis after quantifying all the parameters in monetary terms in Annexure-VI (b) VI (c) की छायाप्रति। (पंज नं0 4-5)
3	review density. Eco-class and NPV rate and mention correct information/data in the relevant documents which may also be uploaded at designated places.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
4	State Govt. may change 1.00 ha MDF area included in the land proposed for CA and submit revised maps etc.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 12.900 हे0 भूमि (ग्राम जस्यारा) में 1.000 भूमि में MDF क्षेत्र की जाँच के लिये सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर द्वारा दिनांक 7.4.2018 को वनक्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर राजि नारायणगड को पत्र प्रेषित किया। जिसके कम में वनक्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर द्वारा क्षेत्र का पुननिरीक्षण किया गया व क्षेत्र को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया। संलग्न 3- वन क्षेत्राधिकारी के पत्र दिनांक 11.4.2018 की प्रति। (पंज नं0 6)
5	State Govt. may submit the original copies of the important documents as well as the documents revised afterwards to be placed in hard copy of the proposal.	समस्त संशोधित प्रपत्र मूल कॉपी के साथ वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पोडी द्वारा पत्र सं0 2724/12-1 दिनांक पोडी, 7.3.2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। संलग्न- पत्र एवं पत्र प्राप्ति रसीद की छाया प्रति। (पंज नं0 7)
6	REC also desired that the concerned DFO may be asked to remain present in the next REC meeting.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।

Handwritten notes in blue ink:
नगरनाथ वन्य
म नदर सं0...
पत्रांक नं0...
पत्र दिनांक 12-4-18

संलग्न- उपरोक्तानुसार

पत्रांक /1सी0 (वन)

तददिनांक

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

Handwritten signature and date:
मवदीय
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर
12/4/18

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर

प्रारूप

परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या:—FP/UK/ROAD/10586/2015


परियोजना का नाम:— कर्णप्रयाग—नैनीसैण से कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग

परियोजना का क्षेत्रफल (है०) — 6.45 है०

प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम — लो०नि०वि० गौचर चमोली।

वन प्रभाग का नाम — बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 12.90 है० क्षेत्र जस्यारा सिविल सोयम भूमि में दिनांक 26.04.2018 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया, कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नहीं है। क्षेत्र झाड़ीनुमा व रिक्त है। वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्त है।


(एन०एन०वाण्डेय)
प्रभासीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

दुबयमंती घाघणा के अन्तर्गत कर्णप्रयाग-दीदीसीय मोटर मार्ग से कण्डहारा-केदारकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दिनांक 25/03/16 को किये गये संपुर्ण निरीक्षण के अनुसार आवंटित वन संचालन नाम भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई। निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिदार/प्रजासिद्ध/व्यापार/व्यापार दिवस

वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

क्र. सं.	भूमि की श्रेणी	वन इलाक/कम्पाउण्ड	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	0-10		10-20		20-30		30-40		40-50		50-60		60-70		70-80		80-90		90 से		कुल योग	
					काठ	नाठ	काठ	नाठ	काठ	नाठ	काठ	नाठ	काठ	नाठ	काठ	नाठ	काठ	नाठ	काठ	नाठ	काठ	नाठ	काठ	नाठ		काठ
1	नापकेत कण्डहारा		खडीक	Celtis eriocarpa Decasine	0	-	-	-	4	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	9	
2	कुंजाकोट 11	काठ 04	चीड	Pinus roxburghii Sargant	45	-	13	-	3	5	1	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	9	63	72	
3	कुंजाकोट 11	काठ 03	चीड	Pinus roxburghii Sargant	37	18	12	-	7	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-	-	4	-	52	37	89	
4	कुंजाकोट 11	काठ 03	चीड	Pinus roxburghii Sargant	2	11	25	-	9	-	7	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	57	2	59	
सम्पूर्ण योग					0	84	29	13	37	7	21	4	8	1	9	0	6	0	4	2	4	0	0	118	111	229

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अवहियत है।

सहायक अभियन्ता
अवधोत्तरी/नागिको
सीकर

सहायक अभियन्ता
अवधोत्तरी/नागिको
सीकर

वन इंजीनियर
प्राथमिक विवरण
नागपुरगढ़

प्रजातीय संरक्षिका
प्रमुखीय वृक्षारोपण
कर्मिण्डर (प्र. प्र. प्र.)

मुअमत्री घाषणा के अन्तर्गत कण्ठप्रयाग-नेत्रीसिंग मोटर मार्ग से कण्डारा-कंदारकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दिनांक 03/03/6 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन संभाव्यता नाम भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई। निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का नुस्कार/प्रजातिवार/ब्याचवार विवरण

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

क्र. सं.	भूमि की श्रेणी	वन ब्लॉक/कम्पाउण्ड	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	वय											कुल योग				
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से	योग					
1	वन संभाव्यता कण्डारा		बांज	<i>Quercus Leucotrichophra</i> <i>Canus ex Bahadur (syn.</i> <i>Q. incana Roxb</i>	1	2	2											5	0	5
	सम्पूर्ण योग				1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अनसिर्हाय है।


असिस्टेंट कमिश्नरी
अपवाक/लेओनिडवि
मीर


सहायक कमिश्नरी
अपवाक/लेओनिडवि
मीर


असिस्टेंट कमिश्नरी
परिसर्ग पिण्डर राजि
नारायणबगड


प्रयागीय असिस्टेंट कमिश्नरी
अपवाक/लेओनिडवि
असिस्टेंट कमिश्नरी
अपवाक/लेओनिडवि

Annexure-VI (B)

Name of Project:- New Construction Karangryag-Nanisain Kandara to kedarkot Motor Road. Length- 10Km.

Parameter for Evaluation of loss Forests:-

District:- chamoli

Sl No	Parameters	Roads, Tr. Lines & Railway Line
1	2	3
1	Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived their livelihood and wage from the harvest of these commodities.	Only one time loss of vegetation occurs during construction and there is no loss of man-hours. Considering the NPV of 9.00 lakhs per hectare, the total loss of timber, fuel wood and minor forest produce for 6.450 hectare of forest may be calculated as: 6.450 $6.450 \times 9.00 = 58.05$ lakhs
2	Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder.	Nil
3	Cost of human resettlement.	Nil
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Road, Building, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to be the projects.	Nil
5	Environmental losses; (Soil erosion, effect on hydrological cycle, Wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.	Environmental losses is quantified as follows: Total forest area proposed for division - 6.450 Environmental value of one hectare of fully stocked forest (density 1.00) for a period of 50 year is = 126.74 lakhs Considering density of the proposed RF = 0.4 Therefore, total environmental loss for a period of 50 years is worked out as = 126.74 Lakhs \times 0.4 \times 6.450 ha = 326.99 Lakhs
6	Suffering to oustees.	Nil
	Total Loss (Calculated for 50 years)	385.04 lakhs

Pratik
J.E.

म. र. क. वि. प्र. वि.
अ. वि. प्र. वि.
अ. वि. प्र. वि.

अ. वि. प्र. वि.
अ. वि. प्र. वि.
अ. वि. प्र. वि.

Annexure-VI (C)

Name of Project:- New Construction Karanpryag-Nanisain Kandara to kedarkot Motor Road.

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forest Nature of Proposal:-

Sl No	Particulars	Amounts in Lacs
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	<p>saving by the average 20 passenger/c or commuters may be used for some useful purpose and increase in productive hours total increase productive time per commuters=2hr/day Value in term of benefit = 300 Rs/7hr x 2hr x 20 = 12000/- In one year = 12000 Rs x 7 x 365 = 438,0000/- In 50 years = 438,0000/- x 50 = 31285714.29 i.e 31.285 lakhs</p>
2	Benefits to economy.	<p>Economic Benefits- Market Development 15 Shoppes are established after constructions of road inlet to Karanpryag-Nanisain-Kandara to kedarkot motor road. Take minimum benefit per shop per day rs 40.00 Benefit for 20 shop per month 15x40x30= Rs 18000.00 Benefit for 1 years-Rs 18000x12= Rs 216000.00 Benefit for 50 years-Rs 216000x50= Rs 10800000.00 i.e 108 lakhs</p>
3	No. of population benefited.	<p>यदि कठारक के अंदर में 230 परिवार की 923 जनसंख्या है, तोटर मार्ग के बनने से लाभान्वित होंगे।</p>
4	employment potential.	<p>(i)-Direct Employment of labours- Benefit for annual maintenance of the road Take 7 beidar for one month@8000.00= Rs 56000.00 Benefit for 1 year Rs 56000x12= Rs 672000.00 Benefit for 50 years Rs 672000.00 x50= Rs 33600000.00 (ii)-Employment Generation Due to other activities like Transportation market development etc Take 6 people get employment per month one month@3000.00= Rs 18000.00 Benefit for 1 years Rs 18000 x 12= Rs 216000.00 Benefit for 50 years Rs 216000.00x50=Rs 10800000.00 Total Employment potential= 44400000.00 i.e 444.00 lakhs</p>
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	Nil
6	Loss of (a) agricultural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.	Nil
7	Cost of rehabilitation the displaced persons as different form copesatory amounts given for displacement.	Nil
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing residing in or near forest area during the period of construction.	Nil
Total Benefits		864.85 Lakhs

Hence Cost Benefit Ratio = 385.04 : 864.85 = 1:2.25 Therefore construction of above mentioned road would be advantageous in monetary terms.

J.E.

सहायक अभियन्ता
 अस्पाद : ...

अभियंता
 E.P.
 ...

कार्यालय- वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर राजि, नारायणवागड चमोली।

पत्रांक- 408/12 नारायणवागड दिनांक 11 अप्रैल 2018.

सेवा में

सहायक अभियन्ता,
अरुणाई खम्भ लोडिंग वि०,
गादवर (चमोली)।

विषय- प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/12845/2015 कर्णप्रयाग-नेनीसेण के फण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक-01/1 सी० दिनांक-07-04-2016.

महोदय,

उपरोक्त विषयक नदमित पत्र के क्रम में निवेदन करना है कि कर्णप्रयाग-नेनीसेण के फण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में जस्यारा सिविल के 100 ई० क्षेत्र में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के सम्बन्ध में पुनः क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के उपरान्त यह देखा गया कि उक्त सिविल क्षेत्र में छिट-पुट स्थानों पर वृक्ष हैं जो क्षेत्र क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हैं।

अतः सूचना महोदय की सेवा में प्रेषित।

भवदीय,


पश्चिमी क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डर राजि
नारायणवागड।

E-Mail ID- spgkhnw@rediffmail.com
offgkhnw@rediffmail.com
 Phone/Fax 01368-222566
 एन.एस.डी.सी. 022-3333333

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक- 2424 /12-1 दिनांक, पौड़ी, मार्च, 07, 2018.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
 एम मोडल अधिकारी वन संरक्षण,
 इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय- जनपद बमोली के कर्णप्रयाग-नीनीसैण के कण्डारा से कोदारकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
 Proposal No- FP/UK/ROAD/12845/2015.

संदर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 5868/12-1 दिनांक, 27.06.2017.

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र से वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हाई कोपी (मूल प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। जिसके पार्ट III प्रपत्र एवं बांज वृक्षों के पतन का प्रमाण पत्र हस्ताक्षरपत्रत आपको उपरोक्त कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(जी०के०रस्तागी)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक- / दिनांक।

प्रतिकृति- प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को उनके उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनाएं प्रेषित।

(जी०के०रस्तागी)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

प्रमाण एक प्रति के अंत
 किया।

9-318